

कार्यालय कुलानुशासक
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
चरित्र प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन
खण्ड (अ)

छात्र का पूरा नाम पिता का नाम

प्रथम प्रवेश तिथि अंतिम कक्षा वर्ष अनुक्रमांक

चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क 50=00 रु. इनवाइस नं. दिनांक

चरित्र प्रमाण-पत्र लेने का कारण :

क्या आप विश्वविद्यालय छात्रावास में रहते हैं/नहीं यदि हों तो कमरा नं. छात्रावास का नाम.....

विद्यार्थी का स्थाई पता

मैं घोषणा करता/करती हूँ मेरे विरुद्ध अनुशासनहीनता की कोई भी कार्यावाही नहीं की गयी है और न ही विचाराधीन है एवं ऊपर लिखा विवरण मेरी जानकारी में सही है, यदि मेरे द्वारा की गयी घोषणा असत्य पायी जाती है तो मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यावाही के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर
मो.नं.

खण्ड (ब)

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी समस्त जानकारी के अनुसार छात्र कक्षा पिता के विरुद्ध विश्वविद्यालय में कोई शिकायत नहीं है। अतः उक्त छात्र को मैं चरित्र प्रमाण-पत्र प्रदान करने की अनुशंसा करता हूँ।

हस्ताक्षर प्रतिपालक (वार्डन)
(छात्रावास के विद्यार्थियों के लिये)

हस्ताक्षर अधिष्ठाता
(स्नातक कक्षाओं के लिये)

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये)

कार्यालयीन उपयोग हेतु

चरित्र प्रमाण-पत्र क्रमांक दिनांक दिया गया, यदि नहीं दिया गया तो कारण लिखें।

हस्ताक्षर कार्यालय प्रभारी

हस्ताक्षर कुलानुशासक/संयुक्त कुलानुशासक

नोट :

1. चरित्र प्रमाण केवल विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के उन नियमित विद्यार्थियों को प्रदान किया जावेगा जो इस आवेदन-पत्र के सभी खण्ड पूरा भरकर देंगे।
2. एक विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र में एक बार ही चरित्र प्रमाण-पत्र दिया जावेगा जिसका शुल्क 50=00 रु. चालान द्वारा जमा करना होगा डुप्लीकेट चरित्र प्रमाण-पत्र के लिये शुल्क 50=00 रु. जमा करना होगा।
3. आवेदन देते समय अपना परिचय-पत्र कुलानुशासक कार्यालय में जमा करना होगा यदि विद्यार्थी परिचय पत्र जमा नहीं करता है तो उसे चरित्र प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जावेगा।